तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर (देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)	पारित आदेश पर अनुपालन
10.9.24		

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।

परमिशन वाद सं0–23/2023–24

काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 की धारा 46(i)(b) के तहत् परमिशन हेतु आदेश पत्र

–: आदेश पत्र :–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदित भू–खण्ड की बिक्री अनुमति के विरूद्ध आपत्ति आमंत्रण हेतु आम सूचना के तामिला के उपरांत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अंचल अधिकारी, बगोदर के पत्रांक–464 दिनांक–12.06.2024 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि खतियानी रैयत का नाम गोखुल कुरमी के नाम से दर्ज है जो विक्रेता खतियानी रैयत के वंशज है एवं पंजी–II में रैयत का नाम गोखुल महतो अंकित है। आवेदित भू–खण्ड की बिक्री के उपरांत आवेदक के हक और हिस्से में कुल–04.58 एकड़ भू–खण्ड अवशेष रहेगा अर्थात वह भूमिहीन की श्रेणी में नही आएगें। विक्रेता **रधिया देवी, पति स्व0 हरिया, साकिन–बेको, टोला–गन्धौनिया, पोस्ट–बेको, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह** के स्थानीय निवासी है। **क्रेता श्रीमती कौशल्या देवी, पति श्री लीलो महतो, साकिन–बेको, टोला–गन्धौनिया, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह** के स्थानीय निवासी है, जो सभी एक ही थाना के अन्तर्गत निवास करते है। विक्रेता एवं क्रेता कुरमी जाति के है।

भूमि का ब्यौरा

मौजा	थाना का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	बिक्री रकवा (डीसमील में)
1	2	3	4	5	6
बेको	बगोदर	88	52	9588	13.51
कुल रकवा (तेरह दशमलव इक्यावन डिसमील)					**13.51**

उक्त भूमि प्रस्तावित क्रेता **श्रीमती कौशल्या देवी, पति श्री लीलो महतो, साकिन–बेको, टोला–गन्धौनिया, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह** के पास बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

10.09.24
अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

10.09.24
अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

Digitally signed by BIJAY SINGH BIRUA
Date: 2025.04.09 18:02:06 +05:30
Location: 10.134.234.9